मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-1(ए)4/2016/ई/चार/ भोपाल,दिनांक 25/11/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,(सूची अनुसार)

विषय:- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के कियान्वयन के सम्बंध में।

वित्त सचिव,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग के पत्र क्रमांक D.O.NoC-13015(460)/MFCGA/PFMS/2016-17/1162 dt.24-06-2016 अनुसार केन्द्रीय एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से लागू करने करने का लेख किया गया है । योजनाओं के कियान्वयन हेतु महालेखा नियंत्रक द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(पीएफएमएस) लागू की गई है । पीएफएमएस लागू करने के उद्देश्य से योजनाओं निम्न दो भागों में विभागित किया गया है:-

(1) **कोषालय के माध्यम से किए जाने वाले व्यय:-** सभी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य के समेकित निधि में पीएफएमएस के माध्यम से राशि जारी की जावेगी । केन्द्र शासन से प्राप्त निधिओं का वितरण एवं उपयोगिता की मानीटरिंग पीएफएमएस-कोषालय इन्टीग्रेशन माड्यूल के द्वारा की जावेगी ।

(2) **राज्य कियान्वयन संस्थाएं (State Implementing Agencies (SIA)) के माध्यम से किये जाने वाले व्यय:-**इसके अंतर्गत निधिओं का अंतरण कोषालय /बैक के माध्यम से सीधे संस्थाओं को किया जावेगा । संस्थाओं का पंजीकरण पीएफएमएस में किया जावेगा। संस्था को प्राप्त निधिओं का वितरण एवं उपयोगिता की मानीटरिंग पीएफएमएस- EAT माड्यूल के द्वारा की जावेगी ।

2. उक्त दोनों व्यवस्थाओं को राज्य में लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

1. कोषालयों का पीएफएमएस से इटीग्रेशन पूर्ण करना :- कोषालय का पीएफएमएस के साथ इंटीग्रशन का कार्य संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जावेगा ।
2. सभी कियान्वयन संस्थाओं का पीएफएमएस में पंजीयन -

निरन्तर 2

(1) विभिन्न विभाग जो पूर्व से ही पीएफएमएस का उपयोग कर रहे है उनकी कार्य एजेंसीयां पंजीकृत है, ऐसे विभागों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त योजनाओं की जानकारी पीएफएमएस में दिनांक 30.12.2016 तक अपडेट कर अवगत करावे ।

(2) ऐसे विभाग जो विभिन्न एजेन्सीयों यथा-शहरी निकायों,ग्रामीण निकायों, सार्वजनिक सस्थाओं,निगमों आदि के माध्यम से राशि का आहरण एवं वितरण किया जाता है उन कार्य एजेंसीयों का पंजीकरण पीएफएमएस में दिनांक 30.12.2016 तक करना सुनिश्चित करें ।

(3) पीएफएमएस में ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण किया जावेगा जिनको बैक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है । एवं जिनका आहरण एवं संवितरण कोषालय के माध्यम से नहीं होता है । ऐंसी समस्त एजेन्सीज का पंजीयन करने हेतु निम्नांकित जानकारी पीएफएमएस पोर्टल-pfms.nic.in इस में दर्ज की जावेगी :-

(i) एजेन्सी का विवरण (पंजीकरण का प्रकार,एजेन्सी का नाम,जिला,पिन कोड, क्षेत्र,मोबाईल कमांक,ई-मेल)

(ii) स्कीम का चयन, एजेन्सी का स्थान- शहरी अथवा ग्रामीण,

(iii) स्कीम का कियान्वयन सीमा,-राज्य,जिला,ब्लांक ग्राम आदि.

(iv) जिस स्तर से भुगतान किया जाना है उस स्तर पर बैंक संबधी विवरण दर्ज करना ।

(v) बैंक संबधी जानकारी के साथ योजना की मैंपिग करना ।

(4) संस्था के पंजीयन के उपरान्त उसे ई-मेल अथवा मोबाईल के माध्यम से यूजर आई.डी. एवं पासबर्ड प्राप्त होगा ।

3. ऐसी पंजीकृत एजेन्सी जिसके द्वारा हितग्राहियों को राशि वितरित की जाना है, उस एजेन्सी के अधीन दो आई.डी. बनाई जावेगी जो कमशः मेकर एवं चेकर के नाम होगी है । मेकर के द्वारा प्रत्येक संचालित योजना से संबंधित हितग्राहीयो की एक्सेल फाइल तैयार की जाकर सिस्टम में अपलोड की जावेगी । बैक एवं पीएफएमएस सर्वर का इन्टरफेस होने के कारण जानकारी का सत्यापन बैक द्वारा किया जावेगा। डाटा सत्यापन होने के पश्चात् फाइल चेकर के पास आवेगी। चेकर के द्वारा मेकर एवं बैक द्वारा भेजी गई जानकारी का सत्यापन करने के उपरांत अनुमोदित जावेगा । तत्पश्चात चेकर द्वारा मेकर की अनुशंसा पर हितग्राहीयों को DSC(Digital singnature certificate) अथवा PPA(Print payment advise) द्वारा भुगतान किया जा सकता है ।

4. राज्य की योजनाओं की केन्द्रीय योजनाओं से मैपिंग संबधी कार्य संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि मैंपिंग संबधी कार्य हेतु आवश्यक

निरं-3

जानकारी दिनांक 30.12.2016 तक कोष एवं लेखा को उपलब्ध कराये तथा अभी तक हो चुकी मैपिंग का सत्यापन करें एवं उन केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओ का चयन करने का कष्ट करें जो DBT के अंतर्गत लाई जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृ0 कमांक एफ-1(ए)4/2016/ई/चार/ भोपाल,दिनांक 25/11/2016

प्रतिलिपि:-

1- अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
2- वित्त सचिव,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,नई दिल्ली
3- मुख्य रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष,मध्यप्रदेश ।
5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव 24/11/16.
म0प्र0शासन